न्यायमूर्ति रंजीत सिंह के समक्ष

पद्म कुमार, — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य , — उत्तरदाता

Criminal MISC. No. 54778 /M सन् 2004

5 फरवरी, 2007

भारतीय दंड संहिता, *1860* — *S.494* — एकपक्षीय तलाक डिक्री याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित — याचिकाकर्ता दूसरी शादी का अनुबंध —पांच वर्षों के बाद उत्तरदाता 2 द्वारा तलाक के फैसले को रद्द करने के लिए दायर की गई अनुप्रयोग स्वीकृत हुआ। लगभग *10* साल बाद धारा *494* के तहत शिकायत दायर हुई — प्रार्थी के द्वारा दूसरी शादी का प्रदर्शन, जब प्रार्थी और उत्तरदाता के बीच कोई मौजूदा विवाह नहीं था।— जब प्रार्थी और उत्तरदाता के बीच वैध रूप से तलाक हो गया था, तो द्विविवाह का आरोप उठाया नहीं जा सकता है। — याचिकाकर्ता व्यभिचार के अपराध का दोषी नहीं है — जारी रखने की अनुमति न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग — याचिकाओं की अनुमति, शिकायत और समन का आदेश समाप्त हो गया।

अभिनिर्णित, की द्वितीय विवाह किया गया था जब प्रार्थी पदम कुमार और उत्तरदाता न २ के बीच एक पक्षीय तलाक का फैसला था। तदनुसार, याचिकाकर्ता व्यभिचार के अपराध के लिए दोषी नहीं हो सकते. इस मामले में दायर की गई शिकायत, यदि जारी रखने की अनुमति दी जाए, तो केवल निष्फलता का एक अभ्यास होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया है कि ऐसे उद्देश्य के लिए आपराधिक अदालत को समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं हो सकती है जहां अंतिम परिणाम लगभग पहले से ही निश्चित है। फिर भी, उत्तरदाता संख्या 2 अपने व्यवहार से इसे इतनी दूर तक बहने दिया है कि पक्षों ने न केवल कई वर्षों तक पति और पत्नी के बाद के संबंध में रहा है, बल्कि अब तक उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं।प्रार्थी पदम कुमार और उत्तरदाता संख्या 2 के विवाह के बाहर के बच्चे की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे हैं। इस तरह के विचारधीन चरण में, पक्षों को ऐसे अपराध के साथ बोझ नहीं डाला जा सकता है जहां अपराध साबित नहीं होगा।. इन कार्यवाहियों को जारी रखने से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं होगा।

(पैरा 8)

ए.पी. भंडारी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए.

यशविंदर सिंह, एएजी, हरियाणा.

सी.एल. वर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी न *2* के लिए

निर्णय

न्यायमूर्ति रणजीत सिंह

(1)यह आदेश *CRM Nos 54778-M* सन् *2004* और *65729-M.*सन् *2005* का निपटान करेगा।

(2) सीआरएम नं. *54778-M* सन् *2004* से तथ्य लिए गये हैं। याचिकाकर्ता, पद्म कुमार ने सीआरएम नं.*54778-M.* सन् *2004* की याचिका दायर की। उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश रानी, शाम लाल गुपता की बेटी,उसकी सास और बहनोई ने दूसरी याचिका दायर की है जो कि ऊपर बताया गया है। *24* अक्टूबर, *2000* की शिकायत का हवाला देते हुए और समन आदेश दिनांक *14* जुलाई, *2004* को जेएमआईसी, लुधियाना द्वारा पारित किया गया दोनों याचिकाओं में मांगी गई है. श्रीमती अनूप माला शिकायतकर्ता-उत्तरदाता सं.*2* पदम कुमार की पूर्व पत्नी, याचिकाकर्ता,द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी कि पद्म कुमार ने कमलेश रानी के साथ दूसरी शादी का अनुबंध किया है और इस तरह दोनों धारा *494* आईपीसी के तहत अपराधी हैं। इस मामले के स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, पद्म कुमार ने शिकायतकर्ता-उत्तरदाता सं. *2,* श्रीमती अनूप माला के साथ विवाह *29* अक्टूबर, *1981* को किया था। एक बेटी और एक बेटा *15* सितंबर, *1982* और *6* नवंबर, *1983* को इस वेडलॉक से पैदा हुआ, क्रमश। यह शिकायत करते हुए कि उसकी पत्नी ने उसे, छोड़ दिया था, पदम कुमार ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा *9* के तहत दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन का आवेदन दायर किया। शिकायतकर्ता-उत्तरदाता सं. *2* अनूप माला को समन भेजे गए लेकिन प्रकट नहीं हुआ और एक पक्षीय डिक्री पास हुई। दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन की डिक्री *13th* जून, *1984* को पारित हुई। इसके बावजूद याचिकाकर्ता-पदम कुमार के पक्ष में फैसला आने के बावज़ूत, प्रतिवादी सं *2* पत्नी उनके साथ रहने न आयी और उसके बाद

दोनों पक्षों में कभी सहयोग नहीं बना। याचिकाकर्ता, पद्म कुमार ने तब *15* जून *1985* को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा *13* के तहत विवाह विच्छेद की याचिका दायर की परंतु शिकायतकर्ता-उत्तरदाता नं.*2*-पत्नी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न हुई। उसने सम्मन स्वीकार करने से इनकार कर दिया. श्रीमती अनूप को शिकायत में उसके द्वारा दिए गए पते पर समन की सेवा की गई थी जो अब धारा *494* आईपीसी के तहत दायर की गई। तलाक की याचिका में भी, उस के विरुद्ध एकपक्षीय आगे बढ़ा गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता पद्म कुमार को *30* अक्टूबर, *1985* को तलाक की डिक्री दी गई। इस प्रकार से याचिकाकर्ता, पद्म कुमार और प्रतिवादी सं. *2* अनूप माला का विवाह *30* अक्टूबर, *1985* से ख़त्म हुआ। उसके बाद, याचिकाकर्ता, पद्म कुमार ने एक उषा रानी के साथ दूसरी शादी का अनुबंध *9* अगस्त, *1986* को बनाया। दुर्भाग्य से उक्त महिला की मृत्यु *9* अगस्त, *1987* को हुई। पद्म कुमार ने फिर कमलेश रानी से *2*सितंबर *1987* को शादी करी जो की एक याचिका में याचिकाकर्ता थी। इस वेडलॉक में, एक बेटा और दो बेटियां पैदा होती हैं। बेटी वर्ष *1989* में पैदा होती हैं और उसके बाद वर्ष *1991* में एक बेटा हुआ व वर्ष *1993* में दूसरी बेटी पैदा होती हैं। याचिकाकर्ता, पद्म कुमार और प्रतिवादी नंबर *2* के बीच विवाह से पैदा हुई बड़ी बेटी की पदम कुमार से शादी हुई और उसके खुद के दो बच्चे हैं.

(3) *15* जून, *1990* को काफी अवधि के बाद, प्रतिवादी नंबर *2*-पत्नी ने तलाक के आदेश को अपास्त करने के लिए एक आवेदन किया जो की पदम कुमार के पक्ष में दिया गया। इस आवेदन पर अनुमति दी गई थी *5* अगस्त, *1993* और तलाक़ का एकपक्षीय आदेश याचिकाकर्ता,पद्म कुमार को दिया गया था वह अपास्त कर दिया गया। इसलिए, वर्ष *2000* में प्रतिवादी नंबर *2* ने धारा *494* आईपीसी के तहत पदम कुमार, उनकी दूसरी पत्नी और अन्य याचिकाकर्ता उपरोक्त के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। यह उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता पद्म कुमार ने अपने पहले विवाह के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी कर ली और धारा *494* आईपीसी के अपराध के लिए दोषी हैं। यह इस शिकायत पर है कि याचिकाकर्ताओं ने सम्मनित किया, व्यापक आदेश— *14* जुलाई, *2004*। इस कार्रवाई के खिलाफ, इन दो याचिकाओं को दायर करते हुए कहा जाता है कि शिकायत और बाद की कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है विशेष रूप से जब पृष्ठभूमि में देखी जाये तो पहले से कोई

विवाह सहित नहीं था जब याचिकाकर्ता पद्म कुमार और कमलेश रानी की शादी हुई थी।

(4) दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना जाता है।

(5) बहस के दौरान, प्रतिवादी नंबर *2* के वकील इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सका कि याचिकाकर्ता, पद्म कुमार और प्रतिवादी संख्या *2* का के बीच विवाह भंग हो गया था जब तलाक का आदेश पारित किया गया और याचिकाकर्ता पद्म कुमार और कमलेश रानी के बीच विवाह उस समय हुआ था जब याचिकाकर्ता,पद्म कुमार और प्रतिवादी सं. *2.* के बीच कोई निर्वाह विवाह नहीं हुआ था। हालांकि, उन्होंने अनुलग्नक का उल्लेख करते हुए *R2 / 2,* ने यह दावा करने की मांग की कि इस मामले की सराहना की जानी चाहिए इस पृष्ठभूमि में कि याचिकाकर्ता, पद्म कुमार एकपक्षीय तलाक़ का आदेश को प्राप्त करके इस उद्देश्य को पूरा कर सकता था।

(6) यह देखने की आवश्यकता है कि क्या तथ्यों और शिकायत के अनुसार, कोई भी अपराध धारा *494 IPC* के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बनाया जाए या नहीं। यह भी सराहना आवश्यक है कि इस मामले में तलाक दिया गया था, भले ही, पूर्व में *15* जून, *1985* को एकपक्षीय आदेश हो चका था। याचिकाकर्ता, पदम कुमार और कमलेश रानी का विवाह *2* सितंबर, *1987* को हुआ था। चाहे जीपी भी तहत्या हो, इस विवाह की तिथि पर याचिकाकर्ता, पदम कुमार और प्रतिवादी सं. *2.* के बीच कोई भी विवाह नहीं था। उत्तरदाता संख्या *2* ने पहले एकपक्षीय तलाक़ के आदेश को अपास्त करने के लिए *15* जून, *1990* को पहला कदम रखा जो कि तलाक के आदेश के लगभग पाँच साल बाद में था। हालांकि, यह एकपक्षीय डिक्री *1990* में अपास्त कर दी गई थी, जैसा कि देखा गया था, फिर भी प्रतिवादी नंबर *2* ने दूसरे विवाह के संबंध में याचिकाकर्ता या कमलेश रानी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का कोई भी प्रयास सन् *2000* तक नहीं किया जो की *10* साल शादी के बाद जब उसे दूसरी शादी का ज्ञान हुआ। इस बीच में, याचिकाकर्ता, पद्म कुमार ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था की थी जो उसके और प्रतिवादी के बीच विवाह से हुई थी। एक बार शादी पद्म कुमार और अनूप माला के बीच वैध रूप से भंग हो गई तब उसके बाद उसके और उसकी दूसरी पत्नी के खिलाफ बड़ेपन का आरोप नहीं लगाया जा सकता। **कृष्ण गोपाल द्विवेदी बनाम प्रभा द्विवेदी*(1)*,** मामले में यह निर्णीत किया गया था कि कोई व्यक्ति

द्विविवाह के लिए अपराधी नहीं पाया जाएगा जब वयक्ति ने दूसरा विवाह किया हो उस समय उस वयक्ति और शिकायतकर्ता के बीच कोई विवाह निर्विहित न हो। **कृष्ण गोपाल द्विवेदी** ***(Supra)*** का वाद वर्तमान वाद के तथ्यों के समान हैं। कृष्ण गोपाल द्विवेदी के वाद में उसने अपनी पहली पत्नी से एकपक्षीय तलाक़ प्राप्त कर लिया था और उसके बाद दूसरी औरत से विवाह कर लिया था। कृष्ण गोपाल द्विवेदी द्वारा लिया हुआ एकपक्षीय तलाक़ बाद में अपास्त हो गया। पहली पत्नी ने एक शिकायत कृष्ण गोपाल दीवेदी के खिलाफ दायर की थी जिस्म आरोप लगाया कि वह धारा *494* आईपीसी के तहत अपराध का दोषी था। माननीय सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कृष्ण गोपाल दीवेदी को संभवतः दोषी नहीं ठहराया जा सकता धारा *494 1PC* के तहत और तदनुसार, उसकी अपील की अनुमति दी। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक पर्यवेक्षक हैं*:* —

> "“पहली पत्नी ने *28* मार्च*, 1995* को अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा *494* के तहत अपराध किया हैं। आपराधिक न्यायालय द्वारा प्रक्रिया प्राप्त करने पर अपीलकर्ता इलाहाबाद के उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को ख़ारिज करने कि लिए पहुँचा। अपीलकर्ता द्वारा अपनाया गया मुख्य तख्ती यह थी कि जिस दिन उसने दूसरी शादी की थी उस दिन उसकी पहला विवाह निर्वाहित नहीं थी क्यूकी उस तारीक को एकपक्षीय डिक्री लागू थी।
>
> प्रतिवादी (पहली पत्नी) के वकील ने इस तथ्य का विवाद नहीं किया कि उसने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन दिया था और उसमे सफल हुए जब 31 मार्च, 1994 को आदेश पारित हुआ। उस आदेश कि अनुसार जो एकपक्षीय तलाक़ डिक्री जो 6 जुलाई, 1990 को प्राप्त हुई थी वह अपास्त हो गई। वह अलग सेट करने के लिए चले गए पूर्व भाग एक आदेश होने पर डिक्री और उसमें सफल हुआ उस आदेश के अनुसार पूर्व भाग को तलाक का फरमान अलग रखा गया था ऐसा हो, अपीलकर्ता को संभवतः उस आधार पर आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने एक अन्य महिला के साथ शादी 24 मई,1993 की थी।

प्रतिवादी के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता व्यभिचार का दोषी है कम से कम 31 मार्च, 1994 से। हम उस पहलू पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहली पत्नी ने अपीलकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी।

जैसा कि यह है, हमें लगता है कि धारा 494 के तहत आपराधिक कार्यवाही जो अपीलकर्ता के खिलाफ अब लंबित है वह केवल व्यर्थता का अभ्यास है। हम नहीं चाहते कि आपराधिक न्यायालय उस उद्देश्य के लिए अपना समय बर्बाद करे। "

(7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून का अध्यन करने पर यह पता चलता है की ये क़ानून इस तथ्यों में स्पष्ट रूप से फिट होता है। यह स्पष्ट है दूसरी शादी तब की गई थी जब याचिकाकर्ता, पदम कुमार और प्रतिवादी सं. 2. के बीच एकपक्षीय डिक्री पास हो रखी थी। तदनुसार, याचिकाकर्ता व्यभिचार के लिए दोषी नहीं हो सकते। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है, अगर जारी रखने की अनुमति दी जाए तो केवल व्यर्थता में व्यायाम होगा। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि आपराधिक न्यायालय को ऐसे उद्देश्य पर समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जहां अंतिम परिणाम लगभग निष्कर्ष है। भी अन्यथा, प्रतिवादी नंबर 2 के आचरण से यह सपस्त है कि दोनों पक्ष न केवल कई वर्षों तक पति और पत्नी के रिश्ते से साथ रह रहे है बल्कि अब बच्चे भी बड़े हो गये है। पदम कुमार और प्रतिवादी नंबर 2 की शादी हो चुकी है और और उनके बच्चे भी है। इतनी बाद में पक्षों को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह अभियोजन का भर ले जहां अप्रद साबित ना हो रहा हो। इन कार्यवाहियों को जारी रखने से कुछ नहीं बस न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। दोनों याचिकाओं की अनुमति दे दी गई है और शिकायत और याचिकाकर्ताओं को समन करने के आदेश जो संबंधित याचिकाओं में है वह ख़ारिज की जाती है और संबंधित याचिकाकर्ताओं को कार्यवाही के परिणामों से राहत किया जाता है।

R.N.R

अभिस्वीकृति- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इससे समझ सके और किसी अन्य उद्देस्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यायहारिक और आधिकारिक निर्णय का

अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देस्य के लिए उपयुक्त होगा।

अनुराग यादव
प्रसिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial officer)
नारनौल, हरियाणा